न्यायालय, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – मनीषा अग्रवाल, आर.जे.एस.
मुत्फरीक दीवानी वाद संख्या – 52/2020
सी.आई.एस. नम्बर – 52/2020

01 – भूरालाल पिता हरलाल, उम्र 80 वर्ष, निवासी रंभावली, तहसील छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़(राज.)
02 – नारायण पिता बद्रीलाल, उम्र 72 वर्ष, निवासी रंभावली, तहसील छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़(राज.)
03 – चांदमल पिता बद्रीलाल, उम्र 65 वर्ष, निवासी रंभावली, तहसील छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़(राज.)
04 – लक्ष्मीलाल पिता भुवानीशंकर, उम्र 62 वर्ष, निवासी रंभावली, तहसील छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़(राज.)
05 – कन्हैयालाल पिता माधुलाल, उम्र 60 साल, निवासी रंभावली, तहसील छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़(राज.)
06 – कंवरलाल पिता भैरूलाल, उम्र 57 साल, निवासी रंभावली, तहसील छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़(राज.)
07 – वरदीचंद पिता माधुलाल, उम्र 55 वर्ष, निवासी रंभावली, तहसील छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़(राज.)

– प्रार्थीगण

बनाम

01 – अर्जुनदास पिता गोर्धनदास, उम्र 30 वर्ष, निवासी रंभावली, तहसील छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़(राज.)
02 – गोर्धनदास पिता मोहनदास, उम्र 65 वर्ष, निवासी रंभावली, तहसील छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़(राज.)
03 – ग्यारसीबाई पुत्री मोहनदास, उम्र 75 वर्ष, निवासी रंभावली, तहसील छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़(राज.)
04 – गोपाल पिता हीरालाल, उम्र वयस्क, निवासी गोमाना, तहसील छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़(राज.)
05 – सरकार जरिये तहसीलदार/सबरजिस्ट्रार तहसील छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़(राज.)

– विपक्षीगण

वाद घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं निरस्त कराने विक्रय पत्र दिनांक 13.08.2020 एवं कब्जेयाबी प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 01 व 02 जा.दी. एवं धारा 151 जा.दी.

उपस्थित–
01– श्री संजय खिमेसरा, अधिवक्ता – प्रार्थीगण की ओर से।
02– श्री राधावल्लभ सिंघल, विपक्षी क्रमांक 01 की ओर से।
03– श्री राजेन्द्र मालवीय, विपक्षीगण क्रमांक 02 लगायत 04 की ओर से।
04– विपक्षी क्रमांक 05 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही है।

आदेश **दिनांक 01.04.2026**

01- संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 01 व 02 जा.दी. का निम्न आशय का प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम रंभावली तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ के अंदर हल्का आबादी में स्थित एक चारभुजा मंदिर और

मंदिर के साथ मकान कमरा ढालिया व खाली भूखण्ड स्थित है। उक्त मकान ढालिया और खाली भूखण्ड चारभुजा मंदिर का है जो सार्वजनिक होकर उसकी देखरेख व व्यवस्था पिछले कई वर्षों से प्रार्थीगण द्वारा की जा रही है व पुर्व में प्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा ही की जा रही थी। प्रार्थीगण की ओर से उक्त वाद व प्रार्थना पत्र जनहित में वादग्रस्त जायदाद चारभुजा मंदिर की होने से पेश किया जा रहा है। उक्त मंदिर की सेवा पूजा पुर्व में विपक्षी संख्या 2 के पिता मोहनदास करते थे और उनके बाद विपक्षी संख्या 2 सेवा पूजा करता था और सेवा पूजा के बदले निवास हेतु प्रार्थीगण ने उक्त कमरा, ढालिया विपक्षी संख्या 2 को दे रखा था। विपक्षी संख्या 2 द्वारा मंदिर में भगवान के जेवर चुराने से उसके खिलाफ रिपोर्ट थाना, छोटीसादडी में की गई थी, जिसमें विपक्षी संख्या 2 को सजायाब भी किया गया और पूजा से विपक्षी संख्या 2 को हटा दिया गया था व मकान ढालिया आदि भी विपक्षी संख्या 2 से खाली करा दिया गया था उसके बाद से ही उक्त मकान ढालिया व भूखण्ड प्रार्थीगण के ही आधिपत्य स्वामित्व व कब्जे में चला आ रहा है मंदिर की पूजा भी प्रार्थीगण अन्य व्यक्तियों से करा रहे हैं। विपक्षी संख्या 2 ने पूर्व में माननीय मुसिंफ मजिस्ट्रेट छोटीसादडी के यहां एक वाद हक घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थीगण के खिलाफ पेश किया गया था जिसके प्रकरण संख्या 114/75 होकर उसका निर्णय दिनांक 30.04.1979 को विपक्षी संख्या 2 का वाद सव्यय खारिज किया गया। उक्त वाद में भी प्रार्थीगण को संरक्षक व व्यस्थापक अंकित किया गया है, जिसमें स्वयं विपक्षी संख्या 2 ने दौराने बयान यह स्वीकार किया कि विपक्षी संख्या 2 ने मंदिर की पूजा करना छोड दिया है एवं मकान में ना रहना भी स्वीकार किया गया है। पूर्व के वाद से यह साबित है कि उसमें कहीं भी निर्णय से पूर्व यह स्वीकार नहीं किया गया कि वादग्रस्त मकान ढालिया भुखण्ड हमारे बाप दादाओ एवं स्वामित्व आधिपत्य का है। विपक्षी संख्या 2 ने पूर्व के दौराने वाद उक्त मकान ढालिया चबुतरा को भी विपक्षी संख्या 2 व उसके भाई का निजी मकान जो ग्राम आबादी रंभावली में स्थित है उस मकान को विपक्षी संख्या 4 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 17.08.1976 को विकय कर दिया, किन्तु इसके साथ ही विकय पत्र के अंदर प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 2 में अंकित वादग्रस्त मकान कमरा ढालिया चबुतरा जिसकी लम्बाई-चौड़ाई नजरी नक्शे में अंकित है विकय पत्र के बीच में केवल मात्र पडोसियान अंकित करते हुए विकय का अंकन कर दिया। जबकि विपक्षी संख्या 2 का प्रार्थीगण के खिलाफ पूर्व का वाद सन 1979 तक चला और बयान हुए कही अंकन विपक्षी संख्या 2 ने विकय का नहीं किया एवं माननीय न्यायालय द्वारा विपक्षी संख्या 2 का वाद सव्यय खारिज हुआ। मौके पर आज भी उक्त वादग्रस्त जायदाद प्रार्थीगण के आधिपत्य में है। विपक्षी संख्या 1 ने विपक्षी संख्या 2 के साथ साठ-गाठ कर जब प्रार्थीगण द्वारा निमार्ण कार्य किया जा रहा था। पुनः विपक्षी संख्या 4 से विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 13.08.2020 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से उसके नाम पंजीयन करा लिया व अब पुनः विपक्षी संख्या 1 वादग्रस्त जायदाद को खुर्द-बुर्द करने पर एवं अन्य को विक्रय करने पर आमादा हो रहा है। ऐसी सूरत में विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना नितांत आवश्यक है कि वादग्रस्त जायदाद में किसी प्रकार से किसी अन्य को रहन बय हस्तांतरण न करे न करावे जबरन कब्जा न करे न करावे प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण होकर सुविधा संतुलन का सिद्धांत भी प्रार्थीगण के पक्ष में है विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो विपक्षीगण वादग्रस्त जायदाद को खुर्द बुर्द कर देगे रहन बय हस्तांतरण कर देगे तो प्रार्थीगण को ऐसी अपुरक क्षति होगी जिसकी पूर्ति जेरे नगद से नहीं हो सकेगी। ऐसी सूरत में विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित होकर न्यायहित में है। पूर्ण न्याय शुल्क पर प्रार्थना पत्र पेश है। विपक्षीगण को देने हेतु नकले, सम्मन, प्रोसेस साथ संलग्न है। ताईद में प्रार्थीगण का शपथ पत्र पेश है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है, कि मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षीगण को इस अमर से अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादग्रस्त जायदाद के किसी भी भू-भाग को रहन बय हस्तांतरण न करें न करावे प्रार्थीगण को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे व साथ ही निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न न करें न करावे।

02- इसके विपरीत अप्रार्थीगण क्रमांक 01 व 02 की ओर से जवाब पेश कर कथन किया कि वादीगणों का वाद चलने योग्य नहीं है। वादीगणों ने आदेश 01 नियम 08 सीपीसी की पालना ही नहीं की है। धारा 80 का नोटिस भी गलत दिया गया है। सार्वजनिक हित का यह वाद धारा 91 व्य.प्र.सं. के तहत प्रस्तुत नहीं किया गया है। वाद प्रस्तुत करने से पूर्व माननीय न्यायालय की अनुमति भी प्राप्त नहीं की है। वादीगणों ने कब्जेयाबी का वाद भी प्रस्तुत नहीं किया है। कब्जेयाबी बाबत् न्यायशुल्क भी अदा नहीं किया है। स्वयं वादीगण ने वाद पत्र के पैरा नंबर 05 में अंतिम लाईन में वादग्रस्त संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने की प्रार्थना की है। जब वादीगण वादग्रस्त संपत्ति पर कब्जा ही नहीं है, तब वादीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र किसी प्रकार चलने योग्य नहीं है। प्रार्थीगणों ने ग्राम रंभावली में स्थित चारभूजा मंदिर जो कि एक सार्वजनिक मंदिर है और उक्त सार्वजनिक मंदिर के सार्वजनिक जनहित में यह वाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना अंकित किया है। प्रार्थीगण ने यह भी अंकित किया है कि उक्त मंदिर की देखरेख व्यवस्था प्रार्थीगणों के पूर्वजों के द्वारा की जा रही थी तथा प्रतिवादीगण एवं उनके पूर्वज इस मंदिर में सेवापूजा करते थे और सेवा पूजा के बदले विपक्षी को निवास हेतु वादग्रस्त कमरा ढालिया भूखण्ड विपक्षी संख्या 02 को दे रखा था। उक्त सभी वर्णित तथ्यों से यह वादीगणों की स्वीकारोक्ति है कि वादग्रस्त मंदिर सार्वजनिक होकर वादीगणों ने यह वाद सार्वजनिक हित में प्रस्तुत किया है। धारा 91 सीपीसी के अनुसार इस प्रकार के सार्वजनिक स्थान से संबंधित किसी प्रकार का हुये कृत्य अथवा न्यूसेन्स Nuisances के संबंध में मात्र वाद पत्र धारा 91 सीपीसी की पालना के पश्चात ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार के वाद प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थीगणों को वाद प्रस्तुत करने से पूर्व माननीय न्यायालय की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होता है, मगर प्रार्थीगण द्वारा इस प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। जिससे वादीगण का वाद प्रथम दृष्टया ही चलने योग्य नहीं है तथा धारा 91 सीपीसी की प्रक्रिया अनुमति के प्रभाव में प्रार्थीगणों को घोषणा निषेधाज्ञा अनुमति का वाद प्रस्तुत करने की पात्रता ही नहीं है। विपक्षीगण को पूजा अधिकारी को समाप्त करने का कोई हक-अधिकार नहीं है। जहां तक वादग्रस्त भूखण्ड का प्रश्न है यह भूखण्ड ढालिया रिक्त स्थान मंदिर के पीछे की ओर प्रतिवादीगण के स्वामित्व आधिपत्य एवं कब्जे के हैं। उक्त भूखण्ड मकान का प्रार्थीगण से अथवा सार्वजनिक मंदिर से कोई संबंध ही नहीं है। यह स्थान कदिमाना प्रतिवादीगण के पूर्वजों के समय से ही प्रतिवादी के स्वामित्व आधिपत्य कब्जे में चला आ रहा है। जिसे गोर्धनदास रमेशदास ने सन् 1976 में गोपालदास पिता हीरालाल को पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा विक्रय कर दिया था जिसे विपक्षी क्रमांक 01 अर्जुनदास ने गोपाल पिता हीरालाल से दिनांक 10.08.2020 को बय की राशि 2,00,000/- रूपये नगद अदा कर क्रय किया है। वादग्रस्त मकान भूखण्ड पर विपक्षीगण का ही स्वामित्व आधिपत्य होकर कब्जा चला आ रहा है। स्वयं प्रार्थीगण ने उसके वाद पत्र के पैरा नंबर 05 में यह स्वीकारोक्ति की है कि वादग्रस्त स्थल पर विपक्षीगणों का कब्जा होकर प्रार्थीगण पुनः कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थीगण वादग्रस्त मंदिर के संरक्षक व्यवस्थापिक होना भी अस्वीकार है। विपक्षीगण ही वादग्रस्त मकान के स्वामी होकर मंदिर में पुजारी है और विपक्षीगणों को सेवापूजा के अधिकारों से वंचित करने का प्रार्थीगण को हक अधिकार नहीं है। वादग्रस्त भूखण्ड ढालिया विपक्षीगणों के स्वामित्व आधिपत्य का होकर विपक्षीगण को बेदखल करने का प्रार्थीगण का कोई अधिकार नहीं है। विक्रय पत्र दिनांक 17.08.1976 की प्रार्थीगणों की जानकारी है, मगर प्रार्थीगणों ने आज तक कभी ऐतराज नहीं किया और इस दस्तावेज को निरस्त कराने का प्रयास ही किया। विपक्षी क्रमांक 02 को रूपयों को आवश्यकता होने से वादग्रस्त संपत्ति 17.08.1976 को गोपाल लाल आंजना के पक्ष में विक्रय की गई थी। जिसे 10.08.2020 के पंजीकृत दस्तावेज द्वारा विपक्षीगण क्रमांक 01 द्वारा क्रय की गई है। प्रार्थीगणों का वादग्रस्त मकान ढालिया भूखण्ड पर स्वामित्व आधिपत्य होने का कथन गलत है। प्रार्थीगण संरक्षक व्यवस्थापक कभी नहीं रहे, विपक्षीगण ही मंदिर की सेवापूजा कर रहे हैं। वादग्रस्त मकान ढालिया विपक्षीगण के स्वामित्व आधिपत्य का है। वादग्रस्त जायदाद के विपक्षी ही मालिक होकर विपक्षीगण के कब्जे में है। जिसे स्वयं प्रार्थीगण ने स्वीकार किया है। विपक्षीगण वादग्रस्त मकान भूखण्ड को रहन बय

हस्तांतरण नहीं कर रहे हैं। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला किसी प्रकार भी नहीं बनता है। वादग्रस्त भूखण्ड विपक्षीगण के स्वामित्व का होकर विपक्षीगण ही कब्जा चल आ रहा है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगणों के पक्ष में नहीं है। प्रार्थीगणों को अपूरक क्षति होने का प्रश्न ही नहीं है। वादग्रस्त भूखण्ड मकान पर विपक्षीगण का कब्जा होकर विपक्षीगण का ही स्वामित्व आधिपत्य है जिससे प्रार्थीगण का कब्जा हो। ताईद में शपथ पत्र है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगणों का यह प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

<u>01 - प्रथम दृष्टया मामला</u>

03- विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये बहस की कि वाके ग्राम रंभावली तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ के अंदर हल्का आबादी में स्थित एक चारभुजा मंदिर और मंदिर के साथ मकान कमरा ढालिया व खाली भूखण्ड स्थित है। उक्त मकान ढालिया और खाली भूखण्ड चारभुजा मंदिर का है जो सार्वजनिक होकर उसकी देखरेख व व्यवस्था पिछले कई वर्षों से प्रार्थीगण द्वारा की जा रही है व पुर्व में प्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा ही की जा रही थी। प्रार्थीगण की ओर से उक्त वाद व प्रार्थना पत्र जनहित में वादग्रस्त जायदाद चारभुजा मंदिर की होने से पेश किया जा रहा है। उक्त मंदिर की सेवा पूजा पुर्व में विपक्षी संख्या 2 के पिता मोहनदास करते थे और उनके बाद विपक्षी संख्या 2 सेवा पूजा करता था और सेवा पूजा के बदले निवास हेतु प्रार्थीगण ने उक्त कमरा, ढालिया विपक्षी संख्या 2 को दे रखा था। विपक्षी संख्या 2 द्वारा मंदिर में भगवान के जेवर चुराने से उसके खिलाफ रिपोर्ट थाना, छोटीसादडी में की गई थी, जिसमें विपक्षी संख्या 2 को सजायाब भी किया गया और पूजा से विपक्षी संख्या 2 को हटा दिया गया था व मकान ढालिया आदि भी विपक्षी संख्या 2 से खाली करा दिया गया था उसके बाद से ही उक्त मकान ढालिया व भूखण्ड प्रार्थीगण के ही आधिपत्य स्वामित्व व कब्जे में चला आ रहा है मंदिर की पूजा भी प्रार्थीगण अन्य व्यक्तियों से करा रहे हैं। विपक्षी संख्या 2 ने पूर्व में माननीय मुसिंफ मजिस्ट्रेट छोटीसादडी के यहां एक वाद हक घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थीगण के खिलाफ पेश किया गया था जिसके प्रकरण संख्या 114/75 होकर उसका निर्णय दिनांक 30.04.1979 को विपक्षी संख्या 2 का वाद सव्यय खारिज किया गया। उक्त वाद में भी प्रार्थीगण को संरक्षक व व्यस्थापक अंकित किया गया है, जिसमें स्वयं विपक्षी संख्या 2 ने दौराने बयान यह स्वीकार किया कि विपक्षी संख्या 2 ने मंदिर की पूजा करना छोड दिया है एवं मकान में ना रहना भी स्वीकार किया गया है। पूर्व के वाद से यह साबित है कि उसमें कहीं भी निर्णय से पूर्व यह स्वीकार नहीं किया गया कि वादग्रस्त मकान ढालिया भुखण्ड हमारे बाप दादाओ एवं स्वामित्व आधिपत्य का है। विपक्षी संख्या 2 ने पूर्व के दौराने वाद उक्त मकान ढालिया चबुतरा को भी विपक्षी संख्या 2 व उसके भाई का निजी मकान जो ग्राम आबादी रंभावली में स्थित है उस मकान को विपक्षी संख्या 4 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 17.08.1976 को विकय कर दिया, किन्तु इसके साथ ही विकय पत्र के अंदर प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 2 में अंकित वादग्रस्त मकान कमरा ढालिया चबुतरा जिसकी लम्बाई-चौड़ाई नजरी नक्शे में अंकित है विकय पत्र के बीच में केवल मात्र पडोसियान अंकित करते हुए विकय का अंकन कर दिया। जबकि विपक्षी संख्या 2 का प्रार्थीगण के खिलाफ पूर्व का वाद सन 1979 तक चला और बयान हुए कही अंकन विपक्षी संख्या 2 ने विकय का नहीं किया एवं माननीय न्यायालय द्वारा विपक्षी संख्या 2 का वाद सव्यय खारिज हुआ। मौके पर आज भी उक्त वादग्रस्त जायदाद प्रार्थीगण के आधिपत्य में है। विपक्षी संख्या 1 ने विपक्षी संख्या 2 के साथ साठ-गाठ कर जब प्रार्थीगण द्वारा निमार्ण कार्य किया जा रहा था। पुनः विपक्षी संख्या 4 से विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 13.08.2020 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से उसके नाम पंजीयन करा लिया व अब पुनः विपक्षी संख्या 1 वादग्रस्त जायदाद को खुर्द-बुर्द करने पर एवं अन्य को विक्रय करने पर आमादा हो रहा है। ऐसी सूरत में विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना नितांत आवश्यक है कि वादग्रस्त जायदाद में किसी प्रकार से किसी अन्य को रहन बय

हस्तांतरण न करे न करावे जबरन कब्जा न करे न करावे प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश है। प्रार्थी अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में सफल रहा है।

04- इसके विपरीत विपक्षीगण ने प्रार्थी द्वारा समस्त कथनों का खंडन करते हुये निवेदन किया कि वादीगणों ने आदेश 01 नियम 08 सीपीसी की पालना ही नहीं की है। धारा 80 का नोटिस भी गलत दिया गया है। सार्वजनिक हित का यह वाद धारा 91 व्य.प्र.सं. के तहत प्रस्तुत नहीं किया गया है। वाद प्रस्तुत करने से पूर्व माननीय न्यायालय की अनुमति भी प्राप्त नहीं की है। वादीगणों ने कब्जेयाबी का वाद भी प्रस्तुत नहीं किया है। कब्जेयाबी बाबत् न्यायशुल्क भी अदा नहीं किया है। स्वयं वादीगण ने वाद पत्र के पैरा नंबर 05 में अंतिम लाईन में वादग्रस्त संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने की प्रार्थना की है। जब वादीगण वादग्रस्त संपत्ति पर कब्जा ही नहीं है, तब वादीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र किसी प्रकार चलने योग्य नहीं है। प्रार्थीगणों ने ग्राम रंभावली में स्थित चारभूजा मंदिर जो कि एक सार्वजनिक मंदिर है और उक्त सार्वजनिक मंदिर के सार्वजनिक जनहित में यह वाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना अंकित किया है। प्रार्थीगण ने यह भी अंकित किया है कि उक्त मंदिर की देखरेख व्यवस्था प्रार्थीगणों के पूर्वजों के द्वारा की जा रही थी तथा प्रतिवादीगण एवं उनके पूर्वज इस मंदिर में सेवापूजा करते थे और सेवा पूजा के बदले विपक्षी को निवास हेतु वादग्रस्त कमरा ढालिया भूखण्ड विपक्षी संख्या 02 को दे रखा था। उक्त सभी वर्णित तथ्यों से यह वादीगणों की स्वीकारोक्ति है कि वादग्रस्त मंदिर सार्वजनिक होकर वादीगणों ने यह वाद सार्वजनिक हित में प्रस्तुत किया है। धारा 91 सीपीसी के अनुसार इस प्रकार के सार्वजनिक स्थान से संबंधित किसी प्रकार का हुये कृत्य अथवा न्यूसेन्स Nuisances के संबंध में मात्र वाद पत्र धारा 91 सीपीसी की पालना के पश्चात ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार के वाद प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थीगणों को वाद प्रस्तुत करने से पूर्व माननीय न्यायालय की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होता है, मगर प्रार्थीगण द्वारा इस प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। जिससे वादीगण का वाद प्रथम दृष्टया ही चलने योग्य नहीं है तथा धारा 91 सीपीसी की प्रक्रिया अनुमति के प्रभाव में प्रार्थीगणों को घोषणा निषेधाज्ञा अनुमति का वाद प्रस्तुत करने की पात्रता ही नहीं है। विपक्षीगण को पूजा अधिकारी को समाप्त करने का कोई हक-अधिकार नहीं है। जहां तक वादग्रस्त भूखण्ड का प्रश्न है यह भूखण्ड ढालिया रिक्त स्थान मंदिर के पीछे की ओर प्रतिवादीगण के स्वामित्व आधिपत्य एवं कब्जे के हैं। उक्त भूखण्ड मकान का प्रार्थीगण से अथवा सार्वजनिक मंदिर से कोई संबंध ही नहीं है। यह स्थान कदिमाना प्रतिवादीगण के पूर्वजों के समय से ही प्रतिवादी के स्वामित्व आधिपत्य कब्जे में चला आ रहा है। जिसे गोर्धनदास रमेशदास ने सन् 1976 में गोपालदास पिता हीरालाल को पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा विक्रय कर दिया था जिसे विपक्षी क्रमांक 01 अर्जुनदास ने गोपाल पिता हीरालाल से दिनांक 10.08.2020 को बय की राशि 2,00,000/- रूपये नगद अदा कर क्रय किया है। वादग्रस्त मकान भूखण्ड पर विपक्षीगण का ही स्वामित्व आधिपत्य होकर कब्जा चला आ रहा है। स्वयं प्रार्थीगण ने उसके वाद पत्र के पैरा नंबर 05 में यह स्वीकारोक्ति की है कि वादग्रस्त स्थल पर विपक्षीगणों का कब्जा होकर प्रार्थीगण पुनः कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थीगण वादग्रस्त मंदिर के संरक्षक व्यवस्थापिक होना भी अस्वीकार है। विपक्षीगण ही वादग्रस्त मकान के स्वामी होकर मंदिर में पुजारी है और विपक्षीगणों को सेवापूजा के अधिकारों से वंचित करने का प्रार्थीगण को हक अधिकार नहीं है। वादग्रस्त भूखण्ड ढालिया विपक्षीगणों के स्वामित्व आधिपत्य का होकर विपक्षीगण को बेदखल करने का प्रार्थीगण का कोई अधिकार नहीं है। विक्रय पत्र दिनांक 17.08.1976 की प्रार्थीगणों की जानकारी है, मगर प्रार्थीगणों ने आज तक कभी ऐतराज नहीं किया और इस दस्तावेज को निरस्त कराने का प्रयास ही किया। विपक्षी क्रमांक 02 को रूपयों को आवश्यकता होने से वादग्रस्त संपत्ति 17.08.1976 को गोपाल लाल आंजना के पक्ष में विक्रय की गई थी। जिसे 10.08.2020 के पंजीकृत दस्तावेज द्वारा विपक्षीगण क्रमांक 01 द्वारा क्रय की गई है। प्रार्थीगणों का वादग्रस्त मकान ढालिया भूखण्ड पर

स्वामित्व आधिपत्य होने का कथन गलत है। प्रार्थीगण संरक्षक व्यवस्थापक कभी नहीं रहे, विपक्षीगण ही मंदिर की सेवापूजा कर रहे हैं। वादग्रस्त मकान ढालिया विपक्षीगण के स्वामित्व आधिपत्य का है। वादग्रस्त जायदाद के विपक्षी ही मालिक होकर विपक्षीगण के कब्जे में है। जिसे स्वयं प्रार्थीगण ने स्वीकार किया है। विपक्षीगण वादग्रस्त मकान भूखण्ड को रहन बय हस्तांतरण नहीं कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है।

05- सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के मत में प्रार्थीगण को हस्तगत प्रार्थना पत्र में सर्वप्रथम प्रथम दृष्टया विवादित स्थल पर स्वयं का कब्जा दर्शित करना आवश्यक था, परंतु प्रार्थीगण ने कब्जा दर्शित करने हेतु प्रथम दृष्टया कोई भी दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया है। विवादित मंदिर की पूजा व देखरेख का कार्य हेतु प्रार्थीगण अधिकृत हो अथवा उनके द्वारा की जा रही हो, इस संबंध में भी कोई प्रथम दृष्टया साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की गई है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2021(4) DNJ (Raj.) 1261 Sunil Parihar & Ors. Vs Ganpat Singh & Anr. में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ''*Since, the appellants have failed to bring on record any documentary evidence to show that they are in possession of the property in question, the findings recorded by the trail Court does not suffer from any informity..*" प्रार्थीगण अपने हक में प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में असफल रहा है।

02. सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति

06- सुविधा की दृष्टि से उक्त दोनों बिंदुओं का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। चूंकि प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण स्वयं के पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। उक्त दोनों बिन्दूओं पर विचार किया जाना समुचित प्रतीत नहीं होता है।

07- अतः प्रार्थीगण का अपुरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन दोनों बिंदू प्रार्थीगण के विरूद्ध तय किये जाते है।

आदेश

08- परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों बिंदू स्वयं के पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध विपक्षीगण खारिज योग्य पाये जाने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र के निस्तारण में व्यक्त मन्तव्य मूल वाद के निस्तारण में प्रभावी नहीं होंगे।

RAVI KANT KHICHI
Digitally signed by RAVI KANT KHICHI
Date: 2026.04.01 18:20:06 +0530

(मनीषा अग्रवाल)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश,
छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़(राज.)

09- आदेश आज दिनांक **01.04.2026** को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मनीषा अग्रवाल)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश,
छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़(राज.)

RAVI KANT KHICHI
Digitally signed by RAVI KANT KHICHI
Date: 2026.04.01 18:20:11 +0530